26/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी तथा वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने पूर्व में जारी दिनांक 16/06/2016 को जारी आख्या निलंबित करने की कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। इनके पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पूर्व में दिनांक 16/6/16 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को आख्या निलंबित के पश्चात किया Report की यथा स्थिति हेतु पत्रावली विचाराधीन रखी दिनांक 16/6/16 को 03.00 बजे का समय इनके प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। दिनांक 19/08/24 को अप्रार्थीगण की एक प्रतिकार्यवाही की गई है। ऐसे में इस तरीके पर पहुंचे हैं कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि ग्राम गजाधरपुरा पृष्ठ संख्या 300 आराजी संख्या 1 तहसील जमवारामगढ़ में स्थित भूमि खसरा नं. 13/181 रकबा 2 बीघा, ख.नं. 22 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 13 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा में पूर्व में जारी आख्या निलंबित आदेश के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01, 02 को बाद के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है। [illegible] अधिकार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2024.02.10 14:57:01 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम